

बिहार सरकार  
पथ निर्माण विभाग

73(S)mes

ज्ञाप सं० : - 9/निधि-स्कीम (0101-वृहद् सड़कें अनु० जाति) 02-02/2017-आर.ओ.ए.

पटना, दिनांक - 7.9.17

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग,  
राष्ट्रीय उच्च पथ / पथ प्रमंडल, (संलग्न विवरणी के अनुसार)।

विषय: मॉग सं०-41 के मुख्य शीर्ष-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-03-राज्य राजमार्ग, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0101-वृहद् सड़कें, विपत्र कोड - 41-5054037890101, विषय शीर्ष-0101.53.01-मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

आदेश: चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में संलग्न आवंटन विवरणी के स्तम्भ सं०-2 में अंकित प्रमंडलों से प्राप्त मॉग पत्र के आधार पर स्तम्भ सं०-4 में अंकित राशि के अनुसार कुल ₹11,00,18,815/- (ग्यारह करोड़ अठारह हजार आठ सौ पन्द्रह रुपये) मात्र निधि का आवंटन किया जाता है। वर्ष 2017-18 में पथ प्रमंडलों में कुल आवंटित राशि स्तम्भ-5 के अनुसार हो जायेगी।

2. यह व्यय पथ निर्माण विभाग के आय-व्यय 2017-18 में बजट उपबंधित राशि से वहन किया जायेगा।
3. यह व्यय मॉग सं०-41 के मुख्य शीर्ष-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-03-राज्य राजमार्ग, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0101-वृहद् सड़कें, विपत्र कोड - 41-5054037890101, विषय शीर्ष-0101.53.01-मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट उपबंधित राशि से विकलनीय है।
4. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561/वि.(2) दिनांक- 17.04.1998, पत्रांक- 428/वि., दिनांक- 31.03.2017 एवं पत्रांक- 3002/वि. दिनांक-26.04.2017 में दिये गये निदेश के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
5. प्रमंडल / निगम/ कार्यालय द्वारा आवंटित राशि को स्वीकृत योजना के प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश के विरुद्ध वित्त विभाग के पत्रांक-एम०-4-53/2007-3758 दिनांक-31.05.17 एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में ही व्यय की जाय।
6. यह व्यय प्रशासनिक एवं प्रावैधिकी स्वीकृति की राशि से अवश्य समाविष्ट होनी चाहिए।
7. आवंटित राशि से अधिक व्यय तथा अतिरिक्त दायित्व का सृजन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय। आवंटित राशि से अधिक व्यय के लिए आप पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। प्रत्येक माह में स्वीकृत परियोजनाओं पर हुए व्यय का मासिक व्यय विवरणी योजनावार अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को भेजा जाय।
8. आवंटित राशि से निर्माण कार्य में व्यवहृत विभागीय सामग्रियों मूल्य के समतुल्य राशि आवंटित राशि से घटाने के पश्चात् अवशेष राशि व्यय किया जाय। अलकतरा का उपयोग विभागीय संकल्प सं०- 6191 (एस) दिनांक-08.09.2001 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप किया जाय।
10. चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटित राशि से बचत राशि का प्रत्यापण दिनांक-28.02.2018 तक अवश्य कर दिया जाय।
11. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।
12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार/ वित्त विभाग, बिहार, पटना को दी जा रही है।

अनु० - यथोक्त।

(सुब्रत सरकार)

विशेष पदाधिकारी (या०),  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(कृष्ण चन्द्र ठाकुर)

संयुक्त सचिव (प्र०को०),  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञाप सं० : - 9/निधि-स्कीम (0101-वृहद् सड़कें अनु० जाति) 02-02/2017-आर.ओ.ए.

73(S)म

पटना, दिनांक - 7.9.17

प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी / सभी संबंधित जिला पदाधिकारी / सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / प्रधान सचिव कोषांग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख कोषांग, पथ निर्माण विभाग, पटना/ संयुक्त सचिव (प्र० को०), पथ निर्माण विभाग, पटना/ विशेष पदाधिकारी (यातायात), पथ निर्माण विभाग, पटना/ सहायक अभियंता (अवकाश रक्षित)-सह-योजना पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, पटना/ आई.टी. मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी-9 (पाँच प्रति) एवं अधीक्षण अभियंता (अनु०), पथ निर्माण विभाग, पटना को (फैक्स एवं ई-मेल हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Sankar  
21/9/17  
(सुब्रत सरकार)

विशेष पदाधिकारी (या०),  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

21/9/17  
(कृष्ण चन्द्र ठाकुर)

संयुक्त सचिव (प्र०को०),  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

### आवंटन विवरणी

ज्ञाप सं० : - 9/निधि-स्कीम (0101-वृहद् सड़कें अनु० जाति) 02-02/2017-आर.ओ.ए.

73(S)म

पटना, दिनांक - 7.9.17

(राशि रूपये में)

| क्रम सं०   | प्रमंडल / कार्यालय का नाम                                  | पूर्व आवंटन  | वर्तमान आवंटन | कुल आवंटन    | अभ्युक्ति (मॉग पत्र सं०/ दिनांक के आलोक में)   |
|--|--|--------------|---------------|--------------|--|
| 1  | 2  | 3            | 4             | 5            | 6  |
| 1  | कार्यपालक अभियंता,<br>पथ प्रमंडल सं०-1, गया ।              | 2,00,00,000  | 3,00,00,000   | 5,00,00,000  | 1053 / 17.07.17  |
| 2  | कार्यपालक अभियंता,<br>पथ प्रमंडल, छपरा ।                   | 10,00,00,000 | 8,00,00,000   | 18,00,00,000 | 1852 / 10.08.17  |
| 3  | कार्यपालक अभियंता,<br>राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, खगड़िया । | 10,54,232    | 18,815        | 10,73,047    | Reference Case No.-19/2011 में न्यायालय के निर्णय तथा विधि विभाग का पत्र सं०-77/वि०प०, दिनांक-04.09.17 के आलोक में भुगतान हेतु । |
| कुल योग  |  | 12,10,54,232 | 11,00,18,815  | 23,10,73,047 |  |
| वर्तमान आवंटन शब्दों में ग्यारह करोड़ अठारह हजार आठ सौ पन्द्रह रूपये मात्र । |  |              |               |              |  |

Sankar  
21/9/17  
(सुब्रत सरकार)

विशेष पदाधिकारी (या०),  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

21/9/17  
(कृष्ण चन्द्र ठाकुर)

संयुक्त सचिव (प्र०को०),  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।